



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला-गया (गया मोरहर नदी बालू घाट-06, ब्लॉक-19, मौजा-दखनेर, लोदीपुर, और मँझार, अंचल-पारैया, जिला-गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O- 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला-गया (गया मोरहर नदी बालू घाट-06, ब्लॉक-19, मौजा-दखनेर, लोदीपुर, और मँझार, अंचल-पारैया, जिला-गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 31.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1868

पटना, दिनांक :- 21.9.23

प्रतिलिपि:- श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला-गया (गया मोरहर नदी बालू घाट-06, ब्लॉक-19, मौजा-दखनेर, लोदीपुर, और मँझार, अंचल-पारैया, जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

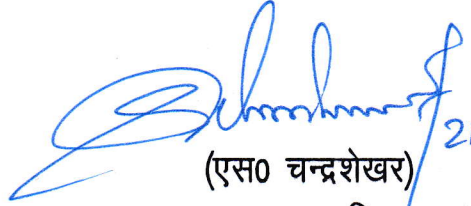
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1868

पटना, दिनांक :- 21.9.23

प्रतिलिपि:-श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांक: 31.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 31.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।


(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव
21/9/23

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला-गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट-06, ब्लॉक-19, मौजा-दखनेर, लोदीपुर, और मँझार, अंचल-परैया, जिला-गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 31.08.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, परैया, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2413/2023, dated 01.06.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 31.08.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, परैया, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 31.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट-06, ब्लॉक-19, मौजा-दखनेर, लोदीपुर, और मँझार, अंचल-परैया, जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित

करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैं:-

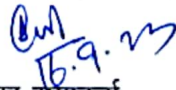
क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री राकेश कुमार, पता: लोदीपुर, परैया, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम एवं स्थानीय लोगों को रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा इसप्रकार श्री राकेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री रामविलास भार्मा, पता: दखनेर, परैया, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन उपरांत बालू लदे वाहनो का परिचालन के समय से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन के उपरांत बालू लदे वाहनो का संचालन दोपहर और रातो में ही ज्यादा किया जायेगा। इसप्रकार श्री रामविलास शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री उदय सिंह, पता: दखनेर, जिला: गया।	इनके द्वारा नदी में होने वाले बालू खनन के गहराई से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि नदी में होने वाले बालू खनन 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। इसप्रकार श्री उदय सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत

		कर संतुष्ट किया।
4.	श्री रामप्रवेश शर्मा, पता: दखनेर, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन के बंदोबस्ती एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा निगरानी; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि जो भी बालू का खनन होगा वह सरकार द्वारा निर्धारित गाईड-लाईन के अनुरूप होगा। अगर लेसी द्वारा निर्धारित गाईड-लाईन के अनुरूप नहीं किया जाता है, तो इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन एवं जिला पदाधिकारी से की जा सकती है। इसप्रकार श्री रामप्रवेश शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री अभ्यानंद कुमार, पता: सलेमपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन क्षेत्र के निकट गाँवों को क्या लाभ मिलेगा तथा तरक्की; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा साथ ही बालू खनन होने से सरकार के राजस्व के साथ-साथ सरकारी भवनों एवं निजी भवनों के निर्माण कार्य में बढ़ोतरी होगी। इसप्रकार श्री अभ्यानंद कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटों पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

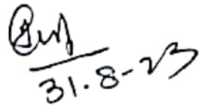
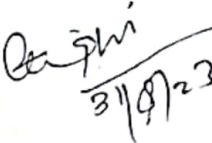
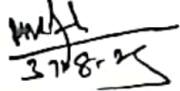
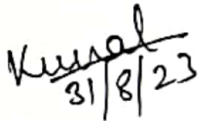
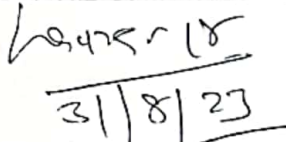
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गया


 अपर सेमाहर्ता,
 गया

उपस्थिति सूची

श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला-गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट-06, ब्लॉक-19, मौजा-दखनेर, लोदीपुर, और मैझार, अंचल-पारैया, जिला-गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 31.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय: पारैया, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजलि कुमार	झर-सामवेर, जमर	 31.8.23
2.	निधि ठासी (MDO)	ग/ला	 31/8/23
3.	मनीष कुमार-रिश्ते	सोनी पट्टासिकारी, जि (प) पु. लि. पट्टा, जमर।	 31/8/23
4.	Kunal Kashyap	CRIPPL	 31/8/23
5.	Harshv Kumar	CRIPPL	 31/8/23
6.	रंजन कुमार	कामत खंडाही जमा	रंजन कुमार 31-8-2023
7.	Poojant Kumar 8709926639	VILL- Jankamul. PS- Danyal जिस - जया.	Poojant
8.	Deepak Kumar 7903838955	VILL- Manjhar PS Paraya Dist- Jaya	
9.	निकारन सिंह 6203243416	गाठ कवतनेर रौंसा जमा	निकारन सिंह

10.	सुभांशु शंकर 9508947557	सलेपुर खाना परिया मिला गया	सुभांशु शंकर
11.	अनील कुमार 9801746461	सलेपुर भाग परिया जीलागर्मा	अनील कुमार
12.	अभयानंद कुमार 7004654559	सलेपुर, खाना परिया मिला - जमा	Abhayand Kumar
13.	Rumuk Kumar 8294367155	खुशहिरा परिया (जमा)	Rumuk
14.	7667850693 Shubham Kumar.	जमा परिया जमा	Shubham
15.	RAVISHANKAR SHANKAR 6203841120	सलेपुर परिया जमा	Ravishankar
16.	राम बली शर्मा	दखनेर 8002514051	राम बली शर्मा
17.	उमेश शर्मा 8002619020	दखनेर	उमेश शर्मा
18.	राम निवास शर्मा 9934494375	सलेपुर	राम
19.	पंकज कुमार 7360000345	दखनेर	Pc
20.	नीतिश कुमार 9504662973	दखनेर	नीतिश कुमार

21.	अविनाश कुमाल 6207762410	दखनेल	Animesh Kumar
22.	Prince Kumar 7903624752	DAKHNER	Prince
23.	NEETU KUMAR 8507436979	Sulempur.	Neetu
24.	Yogendra Kumar 9123439140	दखनेल	Y.K.
25.	विपिन कुमाल 7646071619	दखनेल	Vi
26.	Ramjon .Kumar 9852729693	sulempur	Ramjon. Kumar
27.	सल्लेन्डु सिंह 9523929289	सल्लेन्डुपुर	सल्लेन्डु सिंह
28.	सल्लेन्डु साधु 9661824145	दखनेल	सल्लेन्डु साधु
29.	पंकज कुमाल 8757011362	सलेमपुर	Pankaj Kumar
30.	श्री ५ सालेश कुमार 8777093048	ग्रामा सलेमपुर	Shree
31.	पं. शैलेश कुमार 6202777918	ग्रामा - सलेमपुर	C.S.Sharma

32.	पद्म सिंह. 7061517172	ग्राम - दरवनेर पो - परैया (गढ़) 413 05	पद्म सिंह
33.	चनंगम कुमार	ग्राम - दरवनेर पो - परैया (गढ़)	चनंगम कु
34.	रामा मीरा सिंह	ग्राम - दरवनेर पो - परैया गढ़	रामा मीरा सिंह
35.	संजय साहव 9431432324	ग्राम लोदीपुर	संजय साहव
36.	रविश कुमार 7979985543	ग्राम - लोदीपुर	रविश
37.	हनुमान कुमार 9934271744	ग्राम लोदीपुर	हनुमान
38.	सुभाष सिंह 9931595571	महारा	सुभाष सिंह
39.	अजय पारावान 6203268199	महारा	अजय
40.	राहुल कुमार लोदीपुर	लोदीपुर	Rahul
41.	रोहित कुमार	महारा	Rohit Kumar
42.	अभिषेक कुमार	लोदीपुर	Abhishekkumar

(म.प्र.)
 राजमंडल
 राजमंडल
 राजमंडल

43.	Sunny Singh 90026 19026	राजमंडल	Sunny
44.	RAVIKANT KR. 90621 20226	LODIPUR	Ranjee'
45.	गोबिंद कर्मा	राजमंडल	Gobind Kumar
46.	Ravishankar Jor Dhakur Prasad 90222 11541	Dhakur	RK
47.	Subodh Kumar	Lodipur	SVC 31-8-23
48.			
49.			
50.			





बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्



परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800 010

ई-मेल- bmsbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट-<http://bspcb.bihar.gov.in>

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष श्री रंजन कुमार, गाँव कामत, जिला-गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट-06, ब्लॉक-19, मौजा-दखनेर, लोदीपुर, और मँझार, अंचल-पारैया, जिला-गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक-सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है-

दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
31.08.2023	अपराह्न 02:00 बजे	पारैया जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत दखनेर, लोदीपुर, और मँझार	गया मोरहर-06	अंचल कार्यालय, पारैया, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

PR-006045 (Ni.Ni.) 2023-24

सदस्य सचिव

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार